सत्यमेव जयते
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

पूंजी बाजार के
नव निवेशकों की मार्गनिर्देशिका

भारत
निवेशक सप्ताह

जुलाई 12–17, 2010

वर्षभर चलने वाले निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पहल

प्रकाशक :

ICSI

दि इंस्टीट्यूट ऑफ
कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया
व्यावसायिक उत्कर्ष का लक्ष्य
संसद की अधिनियम के अंतर्गत साविधिक निकाय

Editor :
Prithvi Haldea
PRIME Database

Under the aegis of Investor Education and Protection Fund.

सत्यमेव जयते

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

भारत सरकार

पूंजी बाजार के
नव निवेशकों की मार्गनिर्देशिका

भारत

निवेशक सप्ताह

जुलाई 12–17, 2010

वर्षभर चलने वाले निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पहल

प्रकाशक :

ICSI

दि इंस्टीट्यूट ऑफ

कम्पनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया

व्यावसायिक उत्कर्ष का लक्ष्य

संसद की अधिनियम के अंतर्गत साविधिक निकाय

सत्यमेव जयते

Ministry of Corporate Affairs
Government of India
Shastri Bhawan, New Delhi-110 001

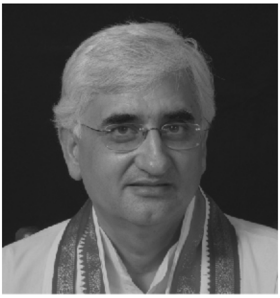

MESSAGE

The Ministry of Corporate Affairs has decided to mainstream the investor awareness program as a national agenda during the current financial year. For this purpose, we have partnered with a number of institutions who will be organizing more than 3,000 investor programmes throughout the country during the current financial year. We are also organizing the 'India Investor Week' during July 2010 with the theme 'Informed investor – an Asset to Corporate India'. The Ministry is bringing out a comprehensive investor guide on this occasion which will help the aam aadmi desirous of making investments to understand their rights and responsibilities as well as various investment instruments along with their associated risks and returns. I am sure that the publication of this Book will be a significant step in spreading awareness on investor issues and will help in integrating the common man into the corporate economy of the country.

Salman Khurshid
Minister of State (I/C) for
Corporate Affairs

सत्यमेव जयते

Ministry of Corporate Affairs
Government of India
Shastri Bhawan, New Delhi-110 001

MESSAGE

With a view to convert the investor education and awareness programme of the Ministry into a mass movement, it has been decided to upscale this initiative in a big way and to bring a number of organizations as partners in this area. In order to educate the investors in an easy to understand manner, the Ministry has decided to bring out a book that provides lucid information on various investment instruments and the rights and responsibilities associated with each one of them. The publication of this book will help in encouraging a much larger number of common people to participate in the corporate economy. This will be a small contribution by the Ministry of Corporate Affairs towards the national agenda of inclusive growth. I am sure that a large number of investors – existing and potential – will benefit from the content of this Book which has been edited by Shri Prithvi Haldea, a noted expert on the subject.

R. Bandyopadhyay
Secretary,
Ministry of Corporate Affairs

विषय सूची

विषय			पृष्ठ क्र.
1.	निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड	–	1
2.	सम्पादक के 20 मंत्र	–	3
3.	निवेशकों के अधिकार	–	9
4.	क्या करें और क्या न करें	–	11
5.	ब्रोकरों और सब–ब्रोकरों से कारोबार	–	14
6.	क्रय प्रक्रिया	–	20
7.	कौन किस प्रकार के संगठन को नियमित करता है!	–	21
8.	आभार एवं अस्वीकारोक्ति	–	22

निवेशक शिक्षा और सुरक्षा फंड

निवेशक शिक्षा सुरक्षा फंड (आईईपीएफ) की स्थापना कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत निवेशक जागरूकता को आगे बढ़ाने और निवेशक हितों के सुरक्षा के लिए की गई है।

आईईपीएफ की विभिन्न गतिविधियों में सेमिनार और मीडिया के माध्यम से निवेशकों को शिक्षित करना एवं जागरूकता पैदा करना तथा उनमें जागरूकता पैदा करने और संरक्षण करने से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था करना शामिल है। इस प्रयोजन के लिए आईईपीएफ ने तीन वेबसाइटों का प्रायोजन भी किया है।

आईईपीएफ की निवेशक सम्बन्धित वेबसाइट

iepf.gov.in

यह वेबसाइट पूंजी बाजार के सभी पहलुओं पर छोटे निवेशकों के लिए सूचना साधनों की आवश्यकताओं को पूरा करती है और इसे छोटे निवेशकों की भाषा में पूरा किया जाता है।

फिलहाल यह वेबसाइट आईपीओ इन्वेस्टिंग, म्युच्युअल फंड इन्वेस्टिंग, स्टाक ट्रेडिंग, डिपाजीटरी एकाउण्ट, डेब्ट मार्केट, डेरीवेटिव्स, इंडिसेज, इंडेक्स फंड्स निवेशकों की शिकायतें और मध्यस्थता (स्टाक एक्सचेंज), निवेशकों के अधिकार और दायित्व, क्या करें या क्या न करें आदि शामिल है।

यह वेबसाइट अंग्रेजी और हिन्दी तथा 12 अन्य स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध है।

watchoutinvestors.com

किसी भी धोखाधड़ी से बचने का सबसे अच्छा उपाय आत्मरक्षा का है। यह विश्व में अपने किस्म की पहली, स्वतंत्र सार्वजनिक सेवा है, जो निवेशक को धोखेबाजी/गैर–आज्ञानुवर्ती (दवद बवउचसपंदज) कम्पनियों, बिचौलियों और व्यक्तियों से आत्मरक्षा का साधन प्रदान करती है। अब यह वेबसाइट इस प्रकार की प्रतिष्ठानों की वेब आधारित रजिस्ट्री है।

watchoutinvestors.com निवेशकों को तीव्रता, कुशलता और प्रयोगकर्ता अनुकूल अनुसंधान करने में मदद करती है और उन्हें इन प्रतिष्ठानों/व्यक्तियों के बारे में जानकारी देती है जिसका प्रयोग वे नए निवेश करने से पूर्व कर सकते हैं और वे इन

प्रतिष्ठानों के मुकाबले में अपने पोर्टफोलियो की समीक्षा कर सकते हैं।

31 मई 2010 को इस वेबसाइट पर इस प्रकार की 106,000 आरोपित/गैर–आज्ञानुवर्ती प्रतिष्ठानों की सूची थी जिनमें 72517 कम्पनियां/फर्में तथा 33,947 व्यक्ति शामिल थे। इनमें अनेक रेगुलेटरी (नियामक) संस्थाओं द्वारा किए गए आदेशों से सम्बन्धित मामले थे जिनमें बीएसई, सीडीएसएल, सीएलबी, डीआरटी, ईपीएफओ, आईआरडीए, एमसीए, एनएचबी, एनएसडीएल, एनएसई, आरबीआई, आरओसी और सेबी शामिल हैं।

watchoutinvestors.com का उपयोग लाखों निवेशक कर रहे हैं (31 मई 2010 को इनकी संख्या 27 लाख से अधिक थी)।

investorhelpline.in

यह एक समर्पित, निःशुल्क पोर्टल है जो एक ही स्थान से विभिन्न प्रकार की अथारिटियों (प्राधिकरणों) सम्बन्धी निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के उपयोग में लाया जाता है, जिनमें कम्पनी मामला मंत्रालय रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज़, सेबी और रिजर्व बैंक आफ इण्डिया जैसी संस्थाएं शामिल हैं। वेबसाइट पर सभी शिकायतें ली जाती हैं जिनका समाधान करना होता है या फिर जिन्हें कम्पनी अथवा सम्बन्धित नियामकों (रेगुलेटर्स) से समाधान के लिए लेना होता है।

निवेशक अपनी शिकायतें लॉग–इन कर सकते हैं जिनका सम्बंध पूंजी बाजार और कम्पनी डिपाजिट से होता है और वे आसानी से फार्म भर सकते हैं तथा अपनी शिकायतों के आनलाइन समाधान की प्रगति पर नजर रख सकते हैं।

बड़ी संख्या में निवेशक इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं।

सम्पादक के 20 मंत्र

विवेकपूर्ण ढंग से बचाइए....

उससे भी अधिक बुद्धिमत्तापूर्वक निवेश कीजिए

निवेश

- निवेश करना अत्यंत आवश्यक है
- आपको निवेश करना चाहिए अन्यथा आपकी बचत का मूल्य घटेगा/क्रय शक्ति कम होगी।
- परन्तु असावधानी या लापरवाही भरा निवेश आपके धन के लिए जोखिम वाला होता है।

विवेकपूर्ण निवेश के २० मंत्र

मंत्र 1

केवल बुनियादी मजबूत कम्पनियों में निवेश करें

- केवल संवेगी (उवदनमजनउ) या पैन्नी स्टाक वाली कम्पनियों में निवेश पर न जाएं
- केवल ऐसी कम्पनियों में निवेश करें जिनकी नींव मजबूत हो; ये वह कम्पनियां होती हैं जो बाजार का दबाव झेल सकती हैं और लम्बे समय में बेहतर प्रदर्शन दे सकती हैं।
- ईक्विटी निवेश को कम्पनी/प्रमोटर को वापस बेचा नहीं जा सकता है।
- सशक्त स्टॉक भी तरल स्टॉक होते हैं।

मंत्र 2

ध्यान से पढ़िए

- अपनी गाढ़ी कमाई के साथ जुआ मत खेलिए।
- यथोचित सावधानी बरतना आवश्यक है।
- ऑफर (प्रस्ताव) को ध्यान से पढ़िए। इस सलाह पर चलना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ऑफर दस्तावेज 1000 पृष्ठों से भी अधिक के होते हैं; संक्षिप्त विवरण–पत्रिका भी पढ़ना मुश्किल होता है। फिर भी, आपको पढ़ना ही चाहिए, कम से कम रिस्क फैक्टर्स, लिटिगेशन, प्रमोटर्स, कम्पनी इतिहास, प्रोजेक्ट, ईशू के उद्देश्यों और प्रमुख वित्तीय आंकड़ों वाले हिस्से तो देखिए ही।

मंत्र 3

जीवन–चक्री निवेश अपनाइए

- जब आप युवा होते हैं तो अधिक जोखिम उठा सकते हैं।
- 50 वर्ष की आयु पार करने पर जोखिम इंस्ट्रुमेंट से बचना शुरू कीजिए।
- 55/60 वर्ष की आयु पंहुचने पर आपको ईक्विटी से पूरी तरह से बचना होगा (जब आपको नई आमदनी होना बंद हो जाती है तो आप अपनी पूंजी गंवाने का खतरा नहीं उठा सकते हैं।) उस आयु में आपके पास और बेहतर विकल्प हो सकते हैं जिसके लिए आप टीवी पर उन विकल्पों को देख सकते हैं।

मंत्र 4

आईपीओ में निवेश कीजिए

- आईपीओ में निवेश बेहतर है।

    जब शेयर ऊपर चढ़ते हैं तो लगभग सभी आईपीओ सक्रिय रहते हैं और बहुत से मामलों में तो सूचीबद्ध दिनों में इनसे काफी बड़ा लाभ मिल सकता हैं। यदि निवेशकर्ता को लाभ नहीं होता है तो समझ लीजिए या तो वह लालची है या फिर उसने गलत कम्पनी/उद्योग/बाजार चुना है। तब उसे आईपीओ को दोष नहीं देना चाहिए। याद रखिए कि...

- आईपीओ खरीदे जाते हैं; इन्हें निवेशकर्ता पर लादा नहीं जाता है।
- समस्या यह है कि हम आईपीओ को पेडस्टल स्तर पर रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनसे निरंतर बेहतर प्रदर्शन मिलता रहे। सूचीबद्ध दिवस में एक आईपीओ सूचीबद्ध स्टाक बन जाता है। तब वह वैसा ही आचरण करता है।
- तय कीजिए कि क्या आप आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं या कम्पनी में? यदि आप आईपीओ के रूप में करते हैं तो सूचीबद्ध दिवस पर धन निकाल लीजिए। यदि आप कम्पनी में धन लगाते हैं, तो आप सूचीबद्ध स्टाक की तरह निवेश करते रहिए।

    जो भी हो, निवेश तभी कीजिए जब क्यूआईबी ओवर सब्सक्रिप्शन बेहतर हो।

    निवेश के लिए एएसबीए का प्रयोग कीजिए।

मंत्र 5

प्रत्येक पीएसयू आईपीओ में अवश्य निवेश कीजिए

- पीएसयू के आईपीओ ही बहुत अच्छे और लाभप्रद होते हैं; उनमें जोखिम और धोखाधड़ी के अवसर भी कम होते हैं।

- खुदरा निवेशक के लिए हमेशा डिस्काउंट रहता है।
- सूचीबद्ध मूल्य से परेशान न होइए; निवेश करते रहिए।

मंत्र 6

म्युचुअल फंड में निवेश कीजिए, परन्तु सही फंड और योजना चुनिए

- भारत में, म्युचुअल फंड पर कारपोरेट धन का कब्जा है और छोटे निवेशकों पर कम ध्यान रहता है।
- फिर भी, म्युचुअल फंड छोटे निवेशकों के लिए बेहतर निवेश का साधन है।
- बहुत से म्युचुअल फंड हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं; सही फंड/योजना चुनिए।

मंत्र 7

बेचने की कला सीखिए

- बहुत से निवेशक खरीदते हैं और फिर उन्हें अपने पास बनाए रखते हैं। (मीडिया पर अनेक विशेषज्ञ भी खरीदने और अपने पास रखने की सलाह देते हैं, शायद ही कोई बेचने की सलाह देता हो)।
- लाभ तभी होता है जब वह आपके बैंक में पहुंचता है (न कि यह सिर्फ आपके रजिस्टर या एक्सेल शीट में बना रहता हो)।
- याद रखिए, आप बाजार के लाभ से अधिक लाभ नहीं कमा सकते हैं, इसलिए लालची मत बनिए।
- लाभ का अपना एक लक्ष्य रखिए और बेचिए।

मंत्र 8

केवल पंजीकृत बिचौलियों से सौदा कीजिए

- बाजार में ऐसे बहुत से अनधिकृत आप्रेटर होंगे जो आपको लालच देंगे कि आपको बड़ा भारी लाभ होगा और फिर आपका पैसा लेकर गायब हो जाएंगे।
- पंजीकृत बिचौलियों से सौदा करना अधिक सुरक्षित है और उनके खिलाफ नियामक कार्रवाई करने का रास्ता खुला रहता है।

मंत्र 9

कहीं आप लालच के शिकार न हो जाएं!

- बहुत से घोटालेबाज आपके लालच का फायदा उठाने के लिए घूमते रहते हैं।
- अधिकांश घोटालेबाज छोटे निवेशकों को लूटते हैं।

- धन लूटने वालों से आप सावधान रहिए!

मंत्र 10

मीडिया से सावधान रहिए, विशेष रूप से स्टाक परामर्शदाताओं और इलेक्ट्रानिक मीडिया से सतर्क रहिए

- पूंजी बाजार में बहुत सारे ''सज्जन पुरूष'' हैं जो मुफ्त सलाह देते हैं।
- वास्तव में, इनमें से अनेक परामर्शदाताओं के अपने निहित स्वार्थ होते हैं।
- हां, एसएमएस और ई–मेल के जरिए धनी बनने की योजनाओं से भी सावधान रहिए!

मंत्र 11

विज्ञापनों के झांसे में मत आइए

- विज्ञापनों का काम ही आपको बेवकूफ बनाना है।
- आकर्षक सुर्खियों, अपीलिंग विजुअलों, दिल छूने वाले संदेशों में मत बह जाइए!

मंत्र 12

निश्चित/गारण्टीकृत लाभकारी योजनाओं से बचिए

- यदि कोई व्यक्ति बैंक की उधारी दरों से अधिक लाभ देने की पेशकश करता है तो यह संदिग्ध होती है।
- याद रखिए कि प्लैन्टेशन कम्पनियां बड़े लाभ देने का वायदा करती हैं (कुछ मामलों में इनका वायदा एक दिन में 50 प्रतिशत से भी अधिक रहता है)।

मंत्र 13

ग्रे मार्केट के अधिमूल्य लाभांश (प्रीमिया) से सावधान रहिए

- ये (अधिमूल्य लाभांश) कृत्रिम होते हैं और सामान्यतया ये स्वयं प्रमोटरों की रचना होती है।

मंत्र 14

क्षेत्रीय उन्माद में मत बह जाइए

- आजकल लाजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्षेत्रीय उन्माद का दौर चल रहा है।
- याद रखिए कि किसी भी क्षेत्र की सभी कम्पनियां अच्छी नहीं होती हैं। प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अच्छी कम्पनियां होती हैं, कुछ काफी अच्छी कम्पनियां गिनी जाती हैं तो फिर

कुछ खराब कम्पनियां भी होती हैं।

- उन कम्पनियों से भी सावधान रहिए जो किसी प्रदेश की आसक्ति को दर्शाने के लिए अपने नाम में परिवर्तन कर लेती है।

मंत्र 15

'कंफर्ट' फैक्टर पर आवश्यकता से अधिक ध्यान न दें, जैसे

- आईपीओ ग्रेडिंग
- स्वतंत्र निदेशक

मंत्र 16

लेखों के आडिट होने के आधार पर आंख मूंद कर निर्णय न लें

- फ्राडुलेंट एकाउण्ट्स और वित्तीय परिणामों के गलत विज्ञापनों की अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं। सत्यम का मामला आपकी आंख खोल सकता है।
- लेखों की कमियों और टिप्पणियों को पढ़िए।
- विशेष रूप से, पार्टी सौदों, विविध ऋणदाताओं, सहायक लेखों सम्बंधी असाधारण प्रविष्टियों पर ध्यान दें।

मंत्र 17

जरूरी नहीं है कि सस्ते शेयर खरीदने लायक हों

- कीमत पर नजर न रखें, मूल्य को पहचानें।
- कीमत कम हो सकती है क्योंकि कम्पनी वास्तव में ठीक काम न कर रही हो (परन्तु, आप कम्पनी/सेक्टर से गुमराह हो सकते हैं)।

  बदतर स्थिति हो सकती है कि कीमत इसीलिए कम हो क्योंकि शेयरों के अंकित मूल्यों को विभक्त रूप में दिखाया हो। (500 से अधिक कम्पनियों ने अपने शेयरों को विभक्त रूप में दिखाया है)।
- तर्काधार यह हैः छोटे निवेशक शेयर खरीद सकें।
- डीमेट के रूप में वैध नहीं, कोई व्यक्ति एक शेयर भी खरीद सकता है।
- वास्तविक प्रयोजन' होता है कि शेयर ''सस्ते'' दिखाई पड़ें।
- ऐसी कम्पनियां है जिनके 50 रूपये के शेयर को 1:10 के अनुपात में विभक्त किया गया है।

मंत्र 18

ऐसी कम्पनियों से सावधान रहें जिनके प्रमोटरों ने स्वयं अपने नाम से शेयर /वारण्ट ले लिए हों

- प्रमोटरों को प्रेफ्रेंशियल शेयरों का आवंटन सदैव केवल प्रमोटरों के लाभ के लिए होता है। (सही रास्ता राइट इश्यू होना चाहिए)।

मंत्र 19

कारपोरेट गवर्नेस एवार्ड/सीएसआर से बेवकूफ न बनें

- अनेक धोखेबाज कम्पनियों की धटनाएं सामने आई हैं जो अपने सीएस और सीएसआर गतिविधियों को बढ़ा चढ़ा कर बताती हैं।

आखिरी मंत्र 20

ईमानदार बनिए

- स्वयं ईमानदार बनिए तभी आप ईमानदारी की मांग कर सकते हैं।
- हम बहुत कमजोर निवेशक हैं/कोई मजबूत निवेशक एसोसिएशन नहीं हैं/सब कुछ शांत भाव से सहन कर लेते हैं।
- आवश्यकता है कि हम मजबूत निवेशक संघ बनाएं/शामिल हों और अपने हक के लिए लड़ें।
- गलत तरीकों के वापस लिए जाने की मांग करने की आवश्यकता।

निवेशकों के अधिकार

पूंजी बाजार

पूंजीबाजार प्रतिभूतियों (ईक्विटी और ऋण) का बाजार है, जहां कम्पनियां और सरकार दीर्घावधि फंड एकत्र करती है और सैकेण्डरी (गौण) बाजार उन प्रतिभूतियों के लिए ट्रेडिंग प्लेटफार्म का काम करता है। सेबी और आरबीआई जैसी नियामक संस्थाएं पूंजी बाजार को नियमित करती है एवं उन पर समग्रदृष्टि रखती हैं ताकि बाजार का व्यवस्थित रूप से विकास हो सके और निवेशकों की सुरक्षा की जा सके।

शेयरधारक कम्पनी के वास्तविक मालिक होते हैं। उन्हें कम्पनी द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने पर लाभांशों और पूंजी वृद्धि के माध्यम से लाभ होता है। दूसरी तरफ, यदि कम्पनी का प्रदर्शन खराब रहता है तो उन्हें अपने निवेश का आंशिक भाग अथवा सम्पूर्ण भाग गंवाने का जोखिम भी बना रहता है।

शेयरधारकों के रूप में अधिकार

- आवंटन होने या निर्धारित समय में खरीदने पर शेयर प्राप्त करना।
- वार्षिक रिपोर्टों की प्रतियां प्राप्त करना, जिनमें तुलन पत्र, लाभ और हानि विवरण तथा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल रहती है।
- यथा समय लाभांश प्राप्त करना।
- राइट्स (शेयर), बोनस आदि जैसे अनुमोदित कारपोरेट लाभ प्राप्त करना।
- टेकओवर, डिलिस्टिंग या पुनर्खरीद की स्थिति में आफर प्राप्त करना।
- कम्पनी की साधारण बैठकों में भाग लेना/वोट देना।
- कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में सांविधिक रजिस्टरों का निरीक्षण करना।
- कपटपूर्ण और 'निवेशक–विपरीत' कम्पनियों के खिलाफ शिकायत करना और समाधान प्राप्त करना।
- यदि कम्पनी से भूल–चूक हो तो उसके खिलाफ सिविल अथवा आपराधिक कार्रवाई करना।
- वाइडिंग अप की स्थिति में अवशिष्ट बिक्री–राशि प्राप्त करना।

डिबेंचरधारियों के रूप में अधिकार

- निर्धारित समय पर ब्याज/रिडेम्पशन राशि प्राप्त करना।
- अनुरोध पर ट्रस्ट डीड की प्रतिलिपि प्राप्त करना।

- परिपक्वता की तारीख पर डिबेंचर के रिडेंपशन में भूल–चूक होने पर सीएलबी के सामने आवेदन करना।
- यदि कम्पनी अपना ऋण चुका नहीं पाती है तो कम्पनी की वाइंडिग अप (समापन) किए जाने के लिए आवेदन करना।
- शिकायतों के लिए डिबेंचर ट्रस्टी के समक्ष पंहुच करना।

प्रतिभूतियों के क्रेता/विक्रेता के निम्न सम्बंधी विषयों पर अधिकार

- सर्वोत्तम मूल्य
- प्रभारित मूल्य/ब्रोकरेज का प्रमाण
- समय पर धन राशि/शेयर
- ब्रोकर, डिपाजिटरी आदि से लेखा–विवरण इत्यादि।

प्रतिभूतियों के क्रेता/विक्रेता के रूप में दायित्व

- ब्रोकर, डिपाजिटरी आदि के साथ समुचित अनुबंध करना
- वैध कंट्रेक्ट नोट (अनुबंध पत्र) अपने पास रखना
- समय पर भुगतान करना
- समय पर शेयर सुपुर्द करना

निम्न के खिलाफ समाधान के अधिकार

- फ्राडुलेण्ट प्राइसेज (कपटपूर्ण कीमतें)
- अनुचित ब्रोकरेज
- धनराशि या शेयरों की प्राप्ति में विलम्ब

निवेशक के रूप में, आपका उत्तरदायित्व है कि–

- जानकारियों से अवगत रहें
- सतर्क रहें
- स्वयं अपने या ग्रुप के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग करें

क्या करें और क्या न करें

प्राइमरी मार्केट (प्राथमिक बाजार)

क्या करें

✓ **विवरण पत्रिका / संक्षिप्त विवरण–पत्रिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें, विशेष रूप से निम्नलिखित पर ध्यान दें:**

- ✓ जोखिम तत्व
- ✓ प्रमोटरों की पृष्ठभूमि
- ✓ कम्पनी का इतिहास
- ✓ कम्पनी के खिलाफ मुकदमेबाजी और अन्य भूल–चूक
- ✓ वित्तीय विवरण
- ✓ निर्गम (ईशू) का उद्देश्य
- ✓ निर्गम (ईशू) मूल्य का आधार
- ✓ आवेदन के लिए हिदायतें
- ✓ यदि कोई संदेह / समस्या हो तो प्रस्ताव (ऑफर) पुस्तिका में दिए नाम वाले अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क करें।
- ✓ यदि आपको निर्धारित अवधि में डीमेट एकाउण्ट में क्रेडिट या आवेदन राशि का पैसा वापस न मिले तो ईशूकर्ता कम्पनी के अनुपालन अधिकारी और पोस्ट–ईशू लीड मैनेजर से शिकायत दर्ज कराएं।

क्या न करें

× किसी भी ईशूकर्ता या अन्य किसी के अन्तर्निहित / स्पष्ट वायदे से प्रभावित न हों।

× बाजार में चल रही शेयरों की बढ़ोतरी या उसी उद्योग की अन्य कम्पनियों के शेयरों या ईशूकर्ता कम्पनी / ग्रुप कम्पनियों के शेयरों में उछाल के आधार पर ही निवेश मत कीजिए।

× यह उम्मीद मत कीजिए कि ईशूकर्ता कम्पनी के सूचीबद्ध होने पर इसके शेयरों की कीमत आवश्यक रूप से बढ़ेगी और हमेशा बढ़ते ही जाएगी।

सेकेण्डरी मार्केट (गौण बाजार)

क्या करें

✓ निवेश करने से पूर्व कम्पनी की विश्वसनीयता, इसके प्रबंधन, मूल सिद्धांतों और

उनके द्वारा की गई हाल की घोषणाओं तथा विभिन्न विनियमों के अन्तर्गत की गई अन्य अभिव्यक्तियों को परख लें। एक्सचेंजों और कम्पनियों की वेबसाइटें, डाटा वेंडरों के डाटाबेस, बिजनेस समाचारपत्र और पत्रिकाएं आदि जानकारी प्राप्त करने के स्रोत हो सकते हैं।

- ✓ अपनी जोखिम वहन करने की क्षमता को लेकर अपनी ट्रेडिंग/निवेश रणनीति अपनाइए क्योंकि सभी निवेशों में कुछ न कुछ जोखिम की मात्रा तो रहती ही है जो अपनाई गई निवेश रणनीति के अनुसार समय–समय पर बदलती रहती है।
- ✓ निवेश करने के बारे में अपना निर्णय लेने से पहले अपने निवेश की जोखिम सहन करने और तरलता एवं सुरक्षा पहलुओं का आकलन कीजिए।
- ✓ केवल सेबी–मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ ही कारोबार कीजिए।
- ✓ केवल सेबी–रजिस्टर्ड ब्रोकरों/सब–ब्रोकरों के साथ कारोबार कीजिए।
- ✓ ध्यान से पढ़िए और ब्रोकर के साथ एकाउण्ट खोलने के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कीजिए (क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, क्लांइट ट्रेड मेम्बर एग्रीमेंट आदि)
- ✓ ''नो योर क्लाइंट एग्रीमेंट'' पर हस्ताक्षर करें।
- ✓ अपने ब्रोकर/सब–ब्रोकर/डीपी को साफ–साफ और सुस्पष्ट निर्देश दीजिए।
- ✓ प्रत्येक सौदे के लिए कंट्रेक्ट नोट अवश्य लें और इसकी प्राप्ति के तुरंत बाद कंट्रेक्ट नोट के विवरणों का सत्यापन कर लें। यदि कहीं कोई संदेह हो तो एक्सचेंज वेबसाइट पर उपलब्ध आपके ट्रेड विवरणों के साथ क्रासचैक कर लें।
- ✓ निर्धारित समय में आवश्यक (मुनाफा) मार्जिन दें।
- ✓ बिक्री के मामले में शेयर/डिपाजिटरी पर्ची और खरीद के मामले में धनराशि की अदायगी निर्धारित समय के अंदर करें।
- ✓ ब्रोकरेज/भुगतान/मुनाफा (मार्जिन) आदि की अदायगी केवल अधिकृत व्यक्ति को ही करें।
- ✓ मुनाफा (मार्जिन) सम्बंधी कोलेट्रल डिपाजिट की रसीद प्राप्त कर लें।
- ✓ अपने डीपी से प्राप्त ट्रांजेक्शन और होल्डिंग स्टेट्मेंट दोनों की जांच कर लें।
- ✓ डीपी द्वारा जारी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (डीआईएस) को संभाल कर ध्यान से रखें। ध्यान रखें कि डीआईएस नम्बर पूर्व–मुद्रित हो और आपके खाता संख्या (ग्राहक आईडी) पर पहले से स्टाम्प लगी हो।
- ✓ यदि आपका लेन–देन बार–बार न होता हो तो आप अपने डीमेट एकाउण्ट के लिए फ्रीजिंग सुविधा का उपयोग करें।

- ✓ अपने सभी निवेश दस्तावेजों की प्रतियां रखिए। कोई भी सौदा करने से पूर्व अपने सभी सम्बन्धित प्रश्नों को पूछिए और अपने संदेह मिटा डालिए।

क्या न करें

- × मत भूलिए कि किसी भी निवेश में सम्भावित जोखिम रहता ही है।
- × ऑफ–मार्केट ट्रांजेक्शन मत कीजिए।
- × अपंजीकृत बिचौलिए के साथ सौदा मत कीजिए।
- × अवास्तविक प्रतिलाभ या गारण्टीकृत प्रतिलाभ के वायदों का शिकार मत बनिए।
- × सुनी–सुनाई बात, अफवाह और टिप्स जैसी बातों के आधार पर निवेश मत कीजिए।
- × किसी व्यापार में अचानक बढ़ी मात्रा या मूल्यों या मीडिया में किसी कम्पनी के हक में प्रकाशित लेखों/विवरणों के आधार पर आप प्रभावित न होकर किसी मूल रूप से कमजोर कम्पनियों (पैन्नी स्टॉक) की खरीदारी से बचें।
- × भेड़चाल मत चलिए और न ही आवेग में बह जाइए।
- × टीवी चैनलों/वेबसाइटों/एसएमएस पर दिए गए परामर्शानुसार बिना सोचे समझे निवेश मत कीजिए।
- × किसी व्यक्ति के दबाव में आकर या किसी अन्य व्यक्ति को निवेश से हुए लाभ की नकल करके कोई निर्णय बिना सोचे समझे मत लीजिए।
- × बाजार का हिसाब रखने की कोशिश मत कीजिए।
- × इस बात से गुमराह न हो कि कम्पनियों को सरकारी एजेंसियों से स्वीकृति/रजिस्ट्रेशन मिल गया है क्योंकि सम्भव है कि ये स्वीकृतियां किसी अन्य प्रयोजन से दी गई हों।
- × कम्पनियों के वित्तीय प्रदर्शन के बारे में दिए गए विज्ञापनों में मत बह जाइए।
- × कारपोरेट विकास पर मीडिया रिपोर्टों पर बिना सोचे समझे मत ध्यान दीजिए क्योंकि इनमें से कुछ रिपोर्टें भ्रामक हो सकती हैं।
- × पोस्ट डेटेड–चैकों द्वारा आपके निवेश (और प्रतिलाभ) की वापसी भुगतान की गारण्टियों से गुमराह न हों।
- × अपने संदेहों/शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त अधिकारियों के पास जाने से मत हिचकिचाएं।
- × अपने डीमेट एकाउण्ट की हस्ताक्षरित कोरी डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप (डीआईएस) खुले में मत रखिए।
- × अपने डीपी या अपने ब्रोकर को हस्ताक्षरित कोरी डीआईएस मत दीजिए।

ब्रोकरों और सब-ब्रोकरों से कारोबार

क्या करें

- ✓ केवल सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकरों/सब–ब्रोकरों से कारोबार कीजिए और सत्यापन कर लीजिए कि ब्रोकर/सब–ब्रोकर के पास सेबी का वैध रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र है।
- ✓ साफ–साफ बताइए कि आपकी ओर से कौन आर्डर दे सकता है और अपने ब्रोकर/सब–ब्रोकर को साफ–साफ और सुस्पष्ट निर्देश दें।
- ✓ आप्रेशन शुरू करने से पहले ब्रोकर द्वारा हस्ताक्षरित क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फार्म अवश्य लें।
- ✓ अपने ब्रोकर/सब–ब्रोकर के साथ (करार) एग्रीमेंट कीजिए जिसमें स्पष्ट रूप से शर्तें निर्धारित रहें।
- ✓ हस्ताक्षर करने से पूर्व एग्रीमेंट और जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज ध्यान से अवश्य पढ़ लें।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि आप एग्रीमेंट के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करें और ब्रोकर या अधिकृत प्रतिनिधि भी एग्रीमेंट के सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर करें। एग्रीमेंट पर गवाहों के भी हस्ताक्षर हों जिनके नाम और पते दिए जाएं।
- ✓ ट्रांजेक्शन होने के 24 घण्टे के अन्दर की गई ट्रेड के वैध कंट्रेक्ट नोट/कंफर्मेशन मीमो भी अवश्य लें।
- ✓ एक बार मूल प्रति प्राप्त होने पर, ब्रोकर के पास रखा जाने वाला कंट्रेक्ट नोट/कंफर्मेशन मीमो पर आप हस्ताक्षर करें।
- ✓ प्रत्येक सैटलमेंट का बिल अवश्य लें।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि कंट्रेक्ट नोट पर ब्रोकर का नाम, ट्रेड टाइम और नम्बर, ट्रांजेक्शन प्राइस और ब्रोकरेज सुस्पष्ट रूप से लिखी हो।
- ✓ नियमित अवधि में लेखा–विवरण अवश्य लें।
- ✓ अपने चैक/ड्राफ्ट को केवल ब्रोकर के ट्रेड नाम पर ही जारी करें।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि भुगतान के 48 घण्टों के अन्दर भुगतान/डिलीवरी की रसीद प्राप्त हो जाए।
- ✓ विवाद होने पर, युक्तियुक्त समय के अन्दर बिचौलिए/स्टाक एक्सचेंज/सेबी को लिखित शिकायत फाइल करें।
- ✓ सब–ब्रोकर के साथ विवाद में, मुख्य ब्रोकर को तुरंत सूचित करें।

- ✓ स्टॉक एक्सचेंजों/सेबी द्वारा जारी नियमों, विनियमों और परिपत्रों की जानकारी रखें।
- ✓ नियमित रूप से अपने डीमेट एकाउण्ट में अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें।
- ✓ खरीदने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास आवश्यक धन है।
- ✓ बेचने से पहले सुनिश्चित कर लें कि आपके पास सिक्योरिटीज (प्रति भूतियां) हैं।

क्या न करें

- × अनधिकृत ब्रोकरों/सब–ब्रोकरों या अन्य अपंजीकृत बिचौलियों के साथ कारोबार न करें।
- × बिना शर्तों को पूरी तरह समझे किसी बिचौलिए के साथ कोई दस्तावेज एक्जीक्यूट न करें।
- × किसी ब्रोकर/सब–ब्रोकर के पास अपनी डीमेट ट्रांजेक्शन स्लिप बुक न छोड़ें।
- × भले ही ब्रोकर/सब–ब्रोकर कितना ही आपका जाना–पहचाना और मशहूर व्यक्ति हो, आप सभी ट्रांजेक्शनों के सभी दस्तावेज लेना न भूलें।

म्युचुअल फंड

क्या करें

- ✓ निवेश से पहले ऑफर दस्तावेज ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- ✓ ध्यान रखिए कि म्युचुअल फंड में निवेश जोखिम भरा है और जरूरी नहीं है कि इन से लाभ मिले ही मिले।
- ✓ अपने निवेश उद्देश्यों और जोखिम सहन के अनुसार किसी योजना में निवेश कीजिए।
- ✓ ध्यान रखिए कि किसी योजना या किसी फंड का विगत प्रदर्शन उस योजना या फंड के भावी प्रदर्शन का द्योतक नहीं होता है। विगत प्रदर्शन भविष्य में बना भी रह सकता है और नहीं भी बना रह सकता है।
- ✓ जिन योजनाओं में आप निवेश किया है उनके एनएवी पर ध्यान रखिए।
- ✓ सुनिश्चित करें कि आपको अपने निवेश/रिडेम्पशन का लेखा–विवरण प्राप्त होता है।

क्या न करें

- × किसी भी योजना में सिर्फ इसलिए निवेश न करें कि कोई व्यक्ति आपको कमीशन

या कोई अन्य इंसेन्टिव, उपहार आदि दे रहा है।

- ✗ किसी योजना/म्युचुअल फंड के नाम में मत बह जाइए।
- ✗ किसी योजना/फंड के विगत प्रदर्शन या भावी प्रतिलाभों के वायदे मात्र से ही निवेश मत कीजिए।
- ✗ निवेश में जोखिम होता है, इस बात को नोट करना कभी न भूलें।
- ✗ अपने संदेहों/शिकायतों के समाधान के लिए उपयुक्त अधिकारियों के पास जाने से मत हिचकिचाएं।
- ✗ किसी एजेण्ट/ब्रोकर डीलर, जिसका एएमएफआई में पंजीकरण न हुआ हो, उसके साथ कारोबार मत कीजिए।

पुनर्खरीद

क्या करें

- ✓ प्रस्तावित पुनर्खरीद सम्बंधी विशेष प्रस्ताव को विस्तारपूर्वक पढ़िए और फिर निर्णय लीजिए।
- ✓ पुनर्खरीद में ऑफर मूल्य की तुलना पिछले कुछ महीनों के दौरान बाजार मूल्यों के साथ कीजिए और साथ ही साथ कम्पनी की प्रति शेयर की आय, बुक वेल्यू आदि से भी कीजिए और फिर तय कीजिए कि क्या ऑफर किया गया मूल्य युक्तिसंगत है।
- ✓ शेयर के टेंडर के समय आवेदन करने के लिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि आपका आवेदन पत्र निर्धारित समय में कलेक्शन सेंटर के पास पहुंच जाए।
- ✓ ऑफर पत्र में मांगे गए सभी कागजात साथ में लगाइए।
- ✓ ऑफर पत्र में बताई गई विधि (पोस्ट/कूरियर/हैण्ड डिलीवरी/साधारण डाक आदि) से आवेदन पत्र भेजिए।
- ✓ यदि जितने शेयरों को देने की बात कही गई है, कम्पनी से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तो मर्चेण्ट बैंक से सम्पर्क कीजिए।
- ✓ किसी प्रकार की शिकायत होने पर ऑफर पत्र में उल्लिखित अनुपालन अधिकारी से सम्पर्क कीजिए।
- ✓ यदि कम्पनी एक्ट का अतिक्रमण होता है तो रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज़ से सम्पर्क कीजिए।

क्या न करें

- × मल्टीपल आवेदनों को प्रस्तुत मत कीजिए।
- × साफ अक्षरों में आवेदन भरना मत भूलिए।
- × आवेदन पत्र को विकृत मत कीजिए।
- × आवेदन पत्र को गलत पते पर मत भेजिए।
- × आवेदन पत्र को ऑफर की तारीख समाप्ति के बाद मत भेजिए।
- × आवेदन पत्र में पूरी सूचना देना मत भूलिए।
- × आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करना मत भूलिए।
- × आवेदन पत्र में गलत/परस्पर विरोधात्मक सूचनाएं मत दीजिए।

ओपन आफर्स (टेकओवर विनियमावली के अन्तर्गत)

क्या करें

- ✓ ऑफर स्वीकार करने का निर्णय लेने से पूर्व सुनिश्चित कीजिए कि आपके पास सभी प्रतिस्पर्धी आफर्स और आफर में संशोधनों/ऑफर मूल्यों की जानकारी है।
- ✓ प्रतिस्पर्धी ऑफर या ऑफर में संशोधनों के विवरणों के लिए राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों/सेबी की वेबसाइट देखिए।
- ✓ ध्यान दीजिए कि ऑफर कानूनी स्वीकृतियों के अधीन होता है जैसा कि ऑफर पत्र में उल्लिखित रहता है।
- ✓ यह चैक कर लीजिए कि क्या ऑफर ऐसी तो नहीं है कि जो कम्पनी की सूची से कट जाएगी।
- ✓ डीमेट वाले शेयरों में, सुनिश्चित कीजिए कि क्रेडिट ऑफर की समाप्ति की तारीख से पहले स्पेशल डिपोजिटरी एकाउण्ट में प्राप्त हो जाता है।
- ✓ ऑफर पत्र में उल्लिखित दस्तावेजों की हैण्ड डिलीवरी के समय/दिनों को ध्यान से नोट कीजिए।
- ✓ अपनी स्वीकृति देने से पूर्व ऑफर आफ रिवीजन की आखिरी तारीख (अर्थात् आफर की समाप्ति की तारीख से पूर्व के 7 कार्य दिवस) तक प्रतीक्षा कीजिए।
- ✓ यदि आप अपने शेयरों की निकासी चाहते हैं तो ऑफर की समाप्ति की तारीख से पहले 3 कार्य दिवसों तक किसी भी निर्दिष्ट कलेक्शन सेंटर में ऑफर पत्र के साथ संलग्न विदड्राअल फार्म को भेज दीजिए।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि स्वीकृति फार्म, ट्रांस्फर डीड, डिपाज़िटरी इंस्ट्रक्शन और

विदड्राअल फार्म पर एक जैसे ही हस्ताक्षर होने चाहिए और यह उसी क्रम में होने चाहिए जैसा कि कम्पनी के रिकार्ड में है।

- ✓ ऑफर दस्तावेज प्राप्त न होने की स्थिति में आप सादे कागज पर आवश्यक विवरण भर कर आवेदन देते हुए ऑफर से टेण्डर या विदड्रा कर सकते हैं।

क्या न करें

- × अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए ऑफर की आखिरी तारीख की प्रतीक्षा न कीजिए।
- × भेजे जाने वाले ट्रांस्फर डीड में खरीदार/ट्रांस्फ्री का विवरण मत भरिए।
- × अधूरा आवेदनपत्र/अवैध दस्तावेज फाइल न करें।

सामूहिक निवेश योजना

क्या न करें

- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि संगठन सेबी में पंजीकृत है।
- ✓ ऑफर दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़िए।
- ✓ योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट पढ़िए।
- ✓ परियोजना की व्यावहारिकता जांचिए।
- ✓ प्रमोटरों की पृष्ठभूमि/विशेषज्ञता जांचिए।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि संगठन की सम्पत्ति/सम्पदा के स्वत्वाधिकार साफ और विपणन–योग्य हैं।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि सामूहिक प्रबंधन कम्पनी (सीआईएमसी) के पास योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक संसाधन हैं।
- ✓ योजना की क्रेडिट रेटिंग/टेन्योर की जांच कीजिए।
- ✓ योजना में पहले किए गए वायदों के मुकाबले उसके प्रदर्शन की जांच कीजिए।
- ✓ सुनिश्चित कीजिए कि सीआईएमसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से दो महीने के अन्दर अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति आपको भेजता है।
- ✓ याद रखिए कि सेबी निवेशकों को प्रतिलाभ की गारण्टी या धन वापसी की गारण्टी नहीं देता है।

क्या न करें

× किसी सीआईएस संगठन, जिसका सेबी में पंजीकरण न हुआ हो, निवेश मत कीजिए।

× इंडिकेटिव या प्रतिलाभ वायदों या बाजार में फैली अफवाहों/विज्ञापनों में मत बह जाइए।

डेरीवेटिव्स

क्या करें

✓ एक्सचेंजों के नियमों, विनियमों, उप–नियमों और प्रकटीकरणों को पढ़ लीजिए।

✓ सेबी में पंजीकृत ट्रेडिंग सदस्यों (टीएम) या एक्सचेंज में पंजीकृत टीएम के अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से ही व्यापार कीजिए।

✓ किसी अधिकृत व्यक्ति के साथ कारोबार करते हुए सुनिश्चित कर लें कि कन्ट्रेक्ट नोट टीएम या अधिकृत व्यक्ति ने ही जारी किया है।

✓ ब्रोकरेज/भुगतान/मार्जिन आदि की अदायगी केवल टीएम को ही करें।

✓ सुनिश्चित करें कि हर कारोबार के लिए आपको टीएम द्वारा हस्ताक्षरित कंट्रेक्ट नोट प्राप्त होता है।

✓ मार्जिन सम्बन्धी राशि के लिये टीएम के पास कोलेट्रल डिपाजिट की रसीद प्राप्त करें।

✓ क्लाइंट–टीएम एग्रीमेंट के विवरण पढ़िए।

✓ टीएम के मुकाबले अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को जानिए।

✓ मार्केट/'मार्जिन कॉलों में अपनी स्थिति को देखते हुए उससे जुड़े जोखिम को समझिए।

✓ टीएम से/को दैनिक आधार पर अपनी भावी स्थिति पर मार्केट मार्जिन पर मार्क क्लेक्ट करें/प्रदान करें।

क्या न करें

× जोखिम प्रकटीकरण दस्तावेज को पढ़ने और समझने से पहले ट्रेडिंग शुरू मत कीजिए।

× किसी प्रोडक्ट पर उससे जुडे जोखिम और लाभ को जाने बिना ट्रेडिंग मत कीजिए।

क्रय प्रक्रिया

प्रोडक्ट कहां से खरीदें?

- ब्रोकर्स : ब्रोकर कई प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं जैसे ईक्विटी की खरीद/बिक्री, ऋण और डेरीवेटिव प्रोडक्ट, म्युचुअल फंड यूनिट्स, आईपीओ आदि।
- बैंक : बहुत से बैंक ईक्विटी की खरीद/बिक्री, ऋण और डेरीवेटिव प्रोडक्ट, म्युचुअल फंड यूनिट्स, आईपीओ आदि की सुविधाएं स्वयं और अपनी वेबसाइटों के माध्यम से प्रदान करते हैं।
- म्युचुअल फंड : लगभग सभी म्युचुअल फंड की सुविधाएं आनलाइन और वास्तविक रूप से म्युचुअल फंड की खरीदारी/बिक्री प्रदान करते हैं।
- स्टाक एक्सचेंज : क्लोज एंडेड म्युचुअल फंड की ट्रेडिंग एक्सचेंज पर होती है और ब्रोकरों के माध्यम से खरीदे जा सकते हैं। ओपन एंडेड म्युचुअल फंड भी स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफार्म पर खरीदे और बेचे जा सकते हैं।

पूंजी बाजार का निवेशक बनने के लिए आवश्यक कदम

- पहली आवश्यकता 'पेन कार्ड' है। यह सभी निवेशकों के लिए आवश्यक है।
- अन्य आवश्यकताओं में बैंक एकाउण्ट और डीमेट एकाउण्ट हैं। डीमेट एकाउण्ट का सम्बंध सामान्यतः बैंक एकाउण्ट से होता है ताकि फंड और प्रतिभूतियों का भुगतान और निकासी हो सके।
- अगला कदम ब्रोकर का चुनाव करना और एक 'केवाईसी' फार्म भरना इसके पश्चात, तथा ब्रोकर–क्लाइंट एग्रीमेंट करना होता है।
- फिर ब्रोकर एक विशिष्ट क्लाइंट आईडी आवंटित करता है, जो पहचान का काम करता है।
- अब आप प्रतिभूतियां खरीद/बेच सकते हैं।

कौन किस प्रकार के संगठन को नियमित करता है!

वित्तीय बाजार में कम्पनियों/बिचौलियों/सेवा प्रदाताओं के प्रकारों की सूची दी गई है। जो सम्बंधित निकाय नियमन करते हैं उनके नाम दूसरे कॉलम में दिए गए हैं।

संगठन का प्रकार	नियामक निकाय
लेखापरीक्षक	आइसीएआई/सीएजी
बैंक	आरबीआई
बैंक–ईशू संग्रहण	सेबी
चिट फंड	चिट फंड पंजीयक
सामूहिक निवेश योजना	सेबी
कम्पनियां–सभी	एमसीए/आरओसी
कम्पनियां–सूचीबद्ध	एमसीए/आरओसी/एसई
कम्पनी सचिव	आईसीएसआई
सहकारी बैंक	आरबीआई
कॉस्ट एकाउण्टेंट	आईसीडब्ल्यूएआई
क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां	सेबी
कस्टोडियल सेवाएं	सेबी
डिबेंचर ट्रस्टीज़	सेबी
डिपाजिटरी	सेबी
डिपाजिटरीज प्रतिभागी	सेबी/एनएसडीएल/सीडीएसएल
विदेशी सेवा संस्थान (एफडीआई)	सेबी
हाउसिंग फिनांस कम्पनियां	एनएचबी
इंश्योरेंस ब्रोकर्स/एजेण्ट	आईआरडीए
बीमा कम्पनियां	आईआरडीए
इंवेस्टमेंट बैंकर्स (मर्चेण्ट बैंकर्स)	सेबी
इंवेस्टमेंट एसोसिएशंस	सेबी
मीडिया (समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टीवी)	एमआईबी
म्युचुअल फंड और सम्पदा प्रबंधन कम्पनियां	सेबी
म्युचुअल फंड ब्रोकर्स/एजेण्ट	एएमएफआई/सेबी
नान–बैंकिंग फिनांशियल कम्पनियां (एनबीएफसी)	आरबीआई
निधि कम्पनियां	एमसीए
प्लांटेशन कम्पनियां	सेबी
पोर्टफोलियो प्रबंधन	सेबी
रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट	सेबी
स्टॉक ब्रोकर्स	सेबी/एसई
स्टॉक एक्सचेंज	सेबी
सब–ब्रोकर्स	सेबी
वेंचर केपीटल फंड	सेबी

आभार एवं अस्वीकारोक्ति

आभार

हमने इस पठन सामग्री को कारपोरेट मामलों के मंत्रालय (www.mca.gov.in), इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (www.iepf.gov.in), सेबी (www.sebi.gov.in), एनएसई (www.nseindia.com), बीएसई (www.bseindia.com), एमसी एक्स–एसएक्स (www.mcx-sx.com), और प्राइम डेटाबेस (www.primedatabase.com) की वेबसाइटों तथा आईसीएआई, आईसीएसआई तथा आईसीडब्ल्यूएआई की उपलब्ध सूचनाओं से प्रमुख रूप से तैयार/संकलित/रूपांतरित किया है।

अस्वीकारोक्ति

हमने यहां जो भी जानकारियां आपको दी हैं, उनका प्रमुख उद्देश्य सूचना का प्रसार एवं मात्र पूंजी बाजार के विभिन्न पहलुओं पर निवेशकों के बीच जागरूकता पैदा करना है। यद्यपि इस पठन सामग्री की तैयारी/संकलन में हमने काफी सावधानी और कर्मठता बरती है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति इस पठन सामग्री को पढ़ कर कोई कार्रवाई करता है या निर्णय लेता है तो कारपोरेट कार्य मंत्रालय या सम्पादक या इस पठन सामग्री को वितरण करने वाले संगठन किसी प्रकार की क्षति या क्षतिपूर्ति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।

यह भी ध्यान देने की बात है कि पूंजी बाजार को अधिशासित करने वाले नियम/विनियम निरंतर अद्यतन/परिवर्तित होते रहते हैं और इसलिए किसी भी निवेशक को नवीनतम नियमों/विनियमों से स्वयं को अवगत रखना चाहिए जिसके लिए वे सम्बन्धित वेबसाइटें देख सकते हैं या सम्बन्धित नियामक निकायों से सम्पर्क कर सकते हैं।